हितार्थ योजना

हितार्थ (Healthcare Initiative to Avail Rehabilitative Therapies and Health Coverage)

हितार्थ योजना वर्ष 2024 में *वॉयस ऑफ स्पेशल एबल्ड पीपल (SAP)* और *परीवार एनसीपीओ* द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एक अनूठी पहल है। इसका उद्देश्य *निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना* में नामांकन बढ़ाना है। इसके अंतर्गत परीवार एनसीपीओ और अन्य संगठनों के व्यापक नेटवर्क, संसाधनों का उपयोग किया जाता है और "हितार्थ सहयोगी" नामक सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है जिन्हें योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

2024-25 की उपलब्धियाँ

इस अवधि में कुल 50 हितार्थ सहयोगियों ने पंजीकरण कराया और 5584 लाभार्थियों का नामांकन किया। इनमें से 365 दावों की राशि ₹35.2 लाख का भुगतान हुआ और हितार्थ सहयोगियों को ₹14.90 लाख का प्रोत्साहन मिला।

2025-26 (प्रथम तिमाही) की उपलब्धियाँ

इस अवधि में 75 हितार्थ सहयोगियों ने काम किया और 2854 लाभार्थियों का नामांकन किया। इसके लिए हितार्थ सहयोगियों को ₹11.37 लाख का प्रोत्साहन मिला।

प्रमुख उद्देश्य

हितार्थ योजना का मुख्य उद्देश्य *नेशनल ट्रस्ट दिव्यांगजनों (PwDs)* के माता-पिता व परिवारों में निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाते हैं:

- शैक्षिक अभियान
- सोशल मीडिया का उपयोग
- सामुदायिक कार्यक्रम
- कार्यशालाएँ

इन प्रयासों के जरिए माता-पिता को योजना के लाभ, पात्रता मानदंड, नामांकन और दावा प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है ताकि दिव्यांगजन स्वास्थ्य लाभों का पूर्ण उपयोग कर सकें और आवश्यक चिकित्सा देखभाल व सहायक सेवाओं तक पहुँच बना सकें।

एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य *दावा अनुपात (Claim Ratio)* बढ़ाना है। इसके लिए लाभार्थियों को चरणबद्ध मार्गदर्शन और व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे सफलतापूर्वक दावा कर सकें और उसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकें।

भुगतान की शर्तें

हितार्थ सहयोगियों को प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष **अधिकतम ₹1650/-** तक का प्रोत्साहन दिया जा सकता है। यह निरामया योजना (भारत सरकार) के तहत दी जाने वाली सेवाओं के लिए होगा। भुगतान का ढाँचा इस प्रकार है:

पहला भुगतान :

- **निरामया हेल्थ कार्ड जारी होने पर** : ₹150 प्रति लाभार्थी (नए नामांकन और नवीनीकरण दोनों पर)
- नए नामांकन पर अतिरिक्त ₹250 (प्रीमियम) दिया जाएगा।
  👉 अतः नए नामांकन के लिए कुल ₹400 देय होंगे।

दावा राशि पर प्रोत्साहन (पॉलिसी वर्ष में) :

- ₹2,000 से ₹4,999 : ₹200 प्रति लाभार्थी
- ₹5,000 से ₹7,500 : ₹400 प्रति लाभार्थी (कुल ₹600)
- ₹7,501 से ₹10,000 : ₹350 प्रति लाभार्थी (कुल ₹950)
- ₹10,001 से ₹15,000 : ₹250 प्रति लाभार्थी (कुल ₹1200)
- ₹15,001 से ₹20,000 : ₹150 प्रति लाभार्थी (कुल ₹1350)
- ₹20,000 से अधिक : ₹100 प्रति लाभार्थी (कुल ₹1450)

👉 प्रति लाभार्थी अधिकतम भुगतान सीमा ₹1850/- प्रति वर्ष है (400 + 1450)।
👉 शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को अतिरिक्त बोनस भी मिल सकता है।

भुगतान *त्रैमासिक* आधार पर किया जाएगा।

पंजीकरण प्रक्रिया

- यदि आप **परीवार एनसीपीओ संगठन** हैं तो *"Add Hitarth Sahayak"* बटन पर क्लिक करें।
- यदि आप **गैर-परीवार संगठन** हैं तो *"Register your Organization"* बटन पर क्लिक करें।
- संगठन के स्वीकृत होने के बाद आप लॉगिन कर के हितार्थ सहयोगी जोड़ सकेंगे।

तो आइए, इस पर कार्य करना प्रारंभ करें... 🚀